(8)

Attachement 1.5

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

परियोजना का नाम जनपद चमोली के अन्तर्गत बारमगाड़ से कोटमिला (रेई) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.940 हे0 सिविल, 0.404 हे0 वन पंचायत, कुल 1.344 हे0 वन भूमि का ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश सं0 23/02(04)/15–2015 दिनांक 19/2/2015 द्वारा 2 किमी0 लम्बाई में प्राप्त हुई है। जिसके परिपेक्ष में प्रस्तुत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग बारमगाड़ से प्रारम्भ होगा तथा कोटमिला पर समाप्त होगा।

यह मार्ग ग्राम कोटमिलाको यातायात से जोड़ने के साथ–साथ अन्य सुदूरवर्ती ग्रामों को भी लाभान्वित करेगा। मार्ग का सर्वेक्षण प्रचलित विशिष्टियों के अनुरूप अधिक से अधिक ग्रामों को जोड़ते हुए किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये यातायात का होना अति आवश्यक है। यातायात न होने के कारण इस क्षेत्र का विकास बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए यहां मार्ग निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। यह क्षेत्र यातायात से वंचित होने के कारण काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। यहां के लोगों का अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदनें के लिये काफी दूर पैदल चलना पड़ता है तथा सामान को अपनी पीठ पर ढोना पड़ता है, जिससे समय अनावश्यक नष्ट हो जाता है। यदि यातायात की सुविधा इस क्षेत्र में उपलब्ध हो जाती है तो, खेती में फसल की अच्छी कीमत मिलने की संभावना होगी। क्षेत्रवासियों का जीवन स्तर ऊंचा होगा।

इस समरेखण पर उक्त परियोजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु किमी0 1 में स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका जी0पी0एस0 मान 30 4' 33.40'' उ0, 79 25' 29.08'' पू0 / 30 4' 44.49'' उ0, 79 25' 39.46'' पू0 हैं।

प्रस्तुत मार्ग के निर्माण हेतु वृक्षों की गणना 6 मी0 में कम से कम वृक्षों को क्षति पहुंचाते हुए की गई है। इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्रवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। इस मार्ग के बन जाने से क्षेत्र की अधिक से अधिक जनसंख्या को लाभ मिलेगा। उपरोक्त मार्ग में कुल 1.344 हे0 वन भूमि पड़ती है, जिस हेतु प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
चमोली, (गोपेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
चमोली, (गोपेश्वर)